समान नागरिक संहिता

द हिन्दू, 14-11-22

जीएस पेपर – 2 (मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत)

लेखक – दीक्षा मुंजाल

"विवाद से केवल शासन और जनहित को नुकसान होगा।"

"समान नागरिक संहिता से संबधित संविधान सभा की बहसें क्या थीं? अलग-अलग तर्क क्या थे और क्या भारत जैसे विविध राष्ट्र के लिए भी एकरूपता वांछनीय है?"

अब तक की कहानी: आगामी विधानसभा चुनावों से पहले ही, गुजरात 29 अक्टूबर को भाजपा शासित राज्यों की सूची में शामिल हो गया, जिन्होंने समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने का आह्वान किया। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला दोनों ने घोषणा की, कि राज्य UCC को लागू करने के लिए सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने हेतु उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगा।

UCC के संबध में संविधान सभा का तर्क ?

- संविधान के भाग IV में निहित, अनुच्छेद- 44 कहता है कि राज्य "भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा"। जबकि UCC के लिए अभी तक कोई मसौदा या मॉडल दस्तावेज नहीं है।
- संविधान निर्माताओं ने कल्पना की, कि यह कानूनों का एक समान सेट होगा जो विवाह, तलाक, गोद लेने जैसे मामलों के संबंध में प्रत्येक धर्म के अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करेगा। संविधान का भाग IV राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को रूपरेखा प्रदान करता है, जो कानून की अदालत में लागू करने योग्य या न्यायसंगत नहीं है, देश के शासन के लिए मौलिक हैं।

एक न्यायसंगत और समान कोड

- UCC खंड पर संविधान सभा में पर्याप्त बहस की गयी ,कि क्या इसे मौलिक अधिकार या निदेशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया जाना चाहिए?
- इस मुद्दे को मतदान प्रणाली द्वारा सुलझाना था और 5:4 के बहुमत के साथ, जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता वाली, मौलिक अधिकारों पर उप-समिति ने फैसला किया कि UCC को सुरक्षित करना मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं था।

नज़ीरुद्दीन अहमद - विधानसभा के सदस्यों ने UCC पर बेहद विपरीत रुख अपनाया। इनमें से कुछ ने महसूस किया कि UCC के लिए भारत बहुत विविधतापूर्ण देश था। बंगाल विधानसभा के सदस्य नज़ीरुद्दीन अहमद ने तर्क दिया कि सभी समुदायों में कुछ नागरिक कानून "धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं"। उन्होंने महसूस किया कि UCC, मसौदा संविधान के अनुच्छेद- 19(तैयार संविधान का अनुच्छेद-25) के रास्ते में आ जाएगा, जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

- परन्तु वह एक समान नागरिक कानून के विचार के खिलाफ नहीं थे, उन्होंने तर्क दिया कि UCC लिए समय अनुकूल नहीं, इसकी प्रक्रिया क्रमिक होनी चाहिए और जिसमें संबंधित समुदायों की सहमति भी अवश्य हो ।

के.एम. मुंशी - हालांकि ,सदस्य के.एम. मुंशी ने इस धारणा को खारिज किया कि UCC धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ होगा क्योंकि संविधान, सरकार को धार्मिक प्रथाओं से संबंधित धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को कवर करने वाले कानून बनाने की अनुमति देता है यदि वे सामाजिक सुधार के लिए अभिप्रेत हैं।

- उन्होंने राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए समानता जैसे लाभों को बताते हुए UCC की वकालत की। इनके अनुसार अगर विरासत, उत्तराधिकार आदि जैसे व्यक्तिगत कानूनों को धर्म के एक हिस्से के रूप में देखा जायेगा , तो महिलाओं के खिलाफ 'हिंदू पर्सनल लॉ' की कई भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर- इनका UCC के प्रति अधिक उभयनिष्ठ रुख था। इनके अनुसार वांछनीय होते हुए भी, UCC को प्रारंभिक चरणों में "विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक" रहना चाहिए। उनके अनुसार अनुच्छेद ने केवल प्रस्तावित किया है कि अगर राज्य UCC को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, तो जिसका अर्थ है कि वह इसे सभी नागरिकों पर लागू नहीं करेगा।

- व्यक्तिगत कानूनों को UCC से बचाने के लिए किए गए संशोधनों को अंततः खारिज कर दिया गया।

UCC पर विभिन्न तर्क क्या हैं?

जहाँ भारत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता और अनुबंध अधिनियम जैसे अधिकांश आपराधिक और दीवानी मामलों में एकरूपता है, तो वहीं राज्यों में CrPC और IPC में 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, साथ ही दीवानी मामलों में कई संशोधन हो चुके हैं; पहला उदाहरण, भाजपा शासित राज्यों ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत केंद्र द्वारा निर्धारित और उचित जुर्माने को कम कर दिया ,दूसरा उदाहरण यह हो सकता है कि अग्रिम जमानत का कानून एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है।

- इस प्रकार विशेषज्ञों का तर्क है कि, यदि पहले से ही संहिताबद्ध नागरिक और आपराधिक कानूनों में बहुलता है, तो विभिन्न समुदायों के विविध व्यक्तिगत कानूनों पर 'एक राष्ट्र, एक कानून' की अवधारणा को कैसे लागू किया जा सकता है?
- इसके अलावा, संवैधानिक कानून विशेषज्ञों का तर्क है कि शायद निर्माताओं का एकरूपता में विश्वास नहीं था, यही वजह है कि संसद और राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने की शक्ति के साथ पर्सनल लॉ को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 में रखा गया था।
- भारत में विभिन्न समुदायों के संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों को देखते हुए, सभी हिंदू संहिता विधेयकों के अधिनियमित होने के बाद भी एक समरूप व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित नहीं हैं, न ही मुस्लिम और न ही ईसाई अपने व्यक्तिगत कानूनों के तहत हैं। हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार करते समय भी, इसके कई प्रावधानों ने वास्तव में विरासत के महत्व, उत्तराधिकार के अधिकार और तलाक के अधिकार के बीच जटिल संबंधों का पता लगाने की माँग की थी, परंतु रूढ़िवादियों के कड़े विरोध का सामना करते हुए, इसे कई बार संशोधित किया गया और अंत में 1950 के दशक में इसे चार अलग-अलग अधिनियमों में विभाजित कर दिया गया –
  - हिंदू विवाह अधिनियम
  - हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
  - हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम,
  - हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम
- संवैधानिक कानून के विद्वान फैजान मुस्तफा ने नोट किया कि 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह निषिद्ध है, लेकिन उन्हें भारत के दक्षिण में शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने भी कई समझौते किए किन्तु 2005 तक बेटी को समान उत्तराधिकारी नहीं बना सका। पत्नियां अभी भी हमवारिस नहीं हैं और न ही विरासत में उनका समान हिस्सा है।
- इसी तरह, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ या 1937 में पारित शरीयत अधिनियम में भी कोई समान प्रयोज्यता नहीं है; उदाहरण के लिए, शरीयत अधिनियम जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता है और वहाँ के लोग मुस्लिम प्रथागत कानून द्वारा शासित होते हैं, जो कि देश के बाकी हिस्सों में मुस्लिम पर्सनल लॉ के विपरीत है। मुसलमानों के कुछ संप्रदायों के लिए प्रयोज्यता भी भिन्न होती है। इसके अलावा, देश में कई आदिवासी समूह, अपने धर्म की परवाह किए बिना, अपने स्वयं के प्रथागत कानूनों का पालन करते हैं।

गोवा में UCC- 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोवा को एक ऐसे चमकते भारतीय राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसके पास एक कार्यशील UCC है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गोवा में जमीनी वास्तविकता अधिक जटिल है और संहिता में कानूनी बहुलताएं हैं। गोवा को नागरिक संहिता 1867 में पुर्तगालियों द्वारा दी गई थी; यह हिंदुओं के लिए बहुविवाह के एक निश्चित रूप की अनुमति देता है।

- परंतु मुसलमानों के लिए शरीयत अधिनियम को गोवा तक विस्तारित नहीं किया गया है, राज्य के मुसलमानों को पुर्तगाली कानून के साथ-साथ शास्त्रीय हिंदू कानून द्वारा शासित किया जा रहा है।
- संहिता, कैथोलिकों को भी कुछ रियायतें देती है। कैथोलिकों को अपने विवाह को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और कैथोलिक पादरी चर्च में किए गए विवाहों को भंग कर सकते हैं।
- भाजपा के 2019 के घोषणापत्र के साथ-साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की UCC समिति के प्रस्ताव का तर्क है कि विभिन्न धर्मों की सर्वोत्तम प्रथाओं को लेकर और आधुनिक समय के लिए उन्हें तैयार करके एक समान कोड

बनाया जाएगा। शोधकर्त्ताओं का कहना है कि इसका अनिवार्य रूप से कुछ मुस्लिम प्रथाओं को चुनना और उन्हें हिंदू समुदाय पर लागू करना होगा और सवाल करना होगा कि क्या इसका कोई विरोध नहीं होगा?

UCC पर सुप्रीम कोर्ट की राय-

- सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न फैसलों में UCC को लागू करने का आह्वान किया है। मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम वाद (1985) का फैसला, जहाँ एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला ने अपने पूर्व पति से भरण-पोषण की माँग की, शीर्ष अदालत ने यह तय करते हुए कि क्या CrPc या मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू किया जाए या नहीं, जो UCC को लागू करने का आह्वान दर्शाता है।
- कोर्ट ने सरकार से 1995 के सरला मुद्गल फैसले के साथ-साथ पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा मामले (2019) में UCC को लागू करने का भी आह्वान किया था।

UCC पर लॉ कमीशन की राय-

- 2016 में मोदी सरकार ने भारत के विधि आयोग से यह निर्धारित करने का अनुरोध किया कि देश में "हजारों व्यक्तिगत कानूनों" की उपस्थिति में एक कोड कैसे बनाया जाए। 2018 में, विधि आयोग ने परिवार कानून में सुधार पर 185 पन्नों का एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें कहा गया कि 'किसी एकीकृत राष्ट्र को "एकरूपता" की आवश्यकता नहीं है।' यह कहते हुए कि धर्मनिरपेक्षता, देश में प्रचलित बहुलता का खंडन नहीं कर सकती है। वास्तव में, "धर्मनिरपेक्षता" शब्द का अर्थ केवल तभी होता है जब यह किसी भी प्रकार के अंतर की अभिव्यक्ति का आश्वासन देता है।
- रिपोर्ट ने कहा कि UCC "इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है", और एक विशेष धर्म और उसके व्यक्तिगत कानूनों के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं, पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों का अध्ययन और संशोधन किया जाना चाहिए।
- आयोग ने विवाह और तलाक में कुछ उपाय सुझाए जिन्हें सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ संशोधनों में लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु 18 वर्ष तय करना शामिल था ताकि वे समान रूप से विवाहित हों, व्यभिचार को पुरुषों और महिलाओं के लिए तलाक का आधार बनाना और तलाक की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है। इसने हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को कर-मुक्त इकाई के रूप में समाप्त करने का भी आह्वान किया गया था।

क्या है सरकार का रुख?

- UCC, BJP का लंबे समय से चुनावी वादा है, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस साल संसद में कहा था कि वर्तमान में सरकार के पास UCC को लागू करने के लिए एक पैनल स्थापित करने की कोई योजना नहीं है और भारत के 22वें विधि आयोग से अनुरोध किया है कि वह इस कार्य में सहायता करे और इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों की भी जांच। परन्तु 2021 में गठित उक्त विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है।
- विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि पहले से ही संहिताबद्ध दीवानी और फौजदारी कानूनों में बहुलता है तो विभिन्न समुदायों के विविध व्यक्तिगत कानूनों पर 'एक राष्ट्र, एक कानून' की अवधारणा कैसे लागू की जा सकती है।

'द स्टडी' के इनपुट्स:

- संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख मिलता है अर्थात नागरिक मामलों जैसे विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और विरासत के अधिकार आदि के लिए नियमों का एक सामान्य सेट है।
- समान नागरिक संहिता पर बहस संविधान सभा में सबसे गर्म मुद्दों में से एक थी। विवाद का मुद्दा था कि UCC को मौलिक अधिकारों के तहत रखा जाये या मौलिक अधिकारों के दायरे से बाहर।
- B.R अंबेडकर और KM मुंशी जैसे नेता नागरिक पहचान के आधार पर एकता और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में धर्म की सीमित भूमिका चाहते थे।
- B.R अम्बेडकर ने कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं समझता कि धर्म को इतना विशाल, विस्तृत क्षेत्राधिकार दिया जाना चाहिए कि वह पूरे जीवन को कवर कर ले और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण करने से रोके। आखिर हमारी यह स्वतंत्रता किस लिए है?"
- लेकिन संविधान सभा के सदस्य काजी करीमुद्दीन ने इस विचार का विरोध किया।
- स्वतंत्रता सेनानी हसरत मोहानी ने कहा, "मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी, राजनीतिक या सांप्रदायिक, को इसका अधिकार नहीं है कि किसी भी समूह के पर्सनल लॉ में दखल दे।"
- रूढ़िवादी हिंदुओं ने भी इसका विरोध किया। विभाजन के निशान अभी भी ताजा थे और भारत को जीवन के क्षेत्र में स्थिरता की जरूरत थी। जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया और टकराव की स्थिति से बचने की कोशिश की। अंत में, इसे संविधान के राज्य भाग के निदेशक सिद्धांतों में रखा गया है।
- लेकिन यह नाजुक सामाजिक-धार्मिक परिस्थितियों और आम सहमति की कमी के कारण संसदीय कानून का रूप नहीं ले सका, इस मुद्दे को आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया गया।

संभावित प्रश्न

प्र . भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद-44 संबधित है ?

a) भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की सुरक्षा

b) ग्राम पंचायतों का आयोजन

c) ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना

d) सभी श्रमिकों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्र. समान नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं? भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में इसकी प्रासंगिकता और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

*****

THE STUDY
MAA PHALESHU KADAACHAN
An Institute for IAS